

कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक
सेवा में,

247 / 12-1 (1)

दिनांक, देहरादून, जुलाई, 29

2016

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड,
इन्दिरानगर, वन विभाग कॉलोनी, देहरादून ।

विषय: जनपद देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर में ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत नौ बीघा-रिखोली मुख्य मार्ग के कि०मी० 16 से नारायण सिंह के घर तक सड़क के निर्माण हेतु (लम्बाई 1.43कि०मी०) अपेक्षित 0.8890 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, देहरादून को वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव ।

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी ने अपने कार्यालय पत्रांक 392/ 12-1 दिनांक 26-7-2016 के द्वारा के अन्तर्गत नौ बीघा-रिखोली मुख्य मार्ग के कि०मी० 16 से नारायण सिंह के घर तक सड़क के निर्माण (लम्बाई 1.43 कि०मी० हेतु अपेक्षित 0.8890 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य के अन्तर्गत वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्तावित मोटर मार्ग में वांछित वन भूमि की विधिक स्थिति विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रभाग / रेंज का नाम	वांछित भूमि की विधिक स्थिति	लम्बाई X चौड़ाई मीटर	क्षेत्रफल हेक्टर	कुल प्रभावित वृक्षों की संख्या	काटे जाने वाले वृक्षों की सं०	बाधित बांज- के वृक्ष जो कालम 5 में सम्मिलित हैं, की संख्या
1	2	3	4	5		6
मसूरी वन प्रभाग की, मसूरी रेंज	आरक्षित वन भूमि रिखोली क०न०-7	1270 X 7	0.8890	शून्य	शून्य	बांज वृक्ष नहीं हैं।
	योग वन भूमि	1270	0.8890	0	0	रिक्त
	नाप भूमि- रिखोली	160 X 7	0.112	-रिक्त-	-	0
	कुल योग वन भूमि	1430 मीटर		-	-	रिक्त

प्रस्तावित मार्ग के समरेखण में वन भूमि में कोई वृक्ष बाधित नहीं है जिलाधिकारी, देहरादून के द्वारा वांछित वन भूमि में गैरवानिकी कार्य हेतु संस्तुति की गई है। प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी की संस्तुति के पश्चात इस स्तर से निर्धारित संलग्न प्रपत्र- III में संस्तुति सहित प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय,

संलग्नक-यथोपरि ।

(आर०के०मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

संख्या

(1) /

उक्त दिनांकित ।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी को पत्रांक 392 / 12-1 दिनांक 26-7-2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, देहरादून तपोवन रोड़ पो० रायपुर देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(आर०के०मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक,

भाग-III

(संबंधी वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है ।)

कार्य का नाम—जनपद देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर में ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत नौ बीघा—रिखोली मुख्य मार्ग के कि०मी० 16 से नारायण सिंह के घर तक सड़क के निर्माण हेतु (लम्बाई 1.43कि०मी०) अपेक्षित 0.8890 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, देहरादून को वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव ।

क्रमांक 14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	जी,नहीं ।
क्रमांक 15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझाव से सहमत हैं ।	सहमत हैं ।
क्रमांक 16	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।	प्रस्तावित मार्ग जो वन भूमि से होकर गुजरेगा के समरेखण में कोई वृक्ष बाधित सूचित नहीं है।

दिनांक — 25 जुलाई, 2016
स्थान — देहरादून ।

हस्ताक्षर

नाम — (आर०के०मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
पत्रांक 392/12-1 दिनांक, मसूरी 26-07-2016।

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :- जनपद-देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर में ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत नौ बीघा-रिखोली मुख्य मार्ग के किमी 0.16 से नारायण सिंह के घर तक ग्रामीण सड़क के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.8890 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

सन्दर्भ:- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून का पत्रांक FP/UK/ROAD/19607/2016 दिनांक 14-07-2016।

महोदय,

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून द्वारा जनपद-देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर में ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत नौ बीघा-रिखोली मुख्य मार्ग के किमी 0.16 से नारायण सिंह के घर तक ग्रामीण सड़क के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.8890 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव इस कार्यालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। भारत सरकार की वेबसाईट पर प्रस्तावक / ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा अपलोड आनलाईन प्रस्ताव को प्रभाग स्तर से जांच / परीक्षण उपरान्त आवश्यक संस्तुति सहित प्रस्ताव की एक (01) हार्ड एवं साफ्ट प्रति प्रेषित की जा रही है। विषयान्वित प्रस्ताव में प्रस्तावित कार्य हेतु अपेक्षित भूमि का संयुक्त निरीक्षण एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना का कार्य अधीनस्थ स्टाफ, राजस्व विभाग व प्रस्तावक विभाग के कर्मचारियों / अधिकारियों द्वारा दि० 16-11-2015 एवं 12-03-2016 को किया गया। प्रस्तावित निर्माण कार्य में कोई वृक्ष बाधित होने निहित नहीं है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा ग्रामीण मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित स्थल का दि० 28-04-2016 एवं दि० 22-07-2016 को स्थलीय निरीक्षण किया गया है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कृपा करें।

संलग्नक:- उक्तानुसार। (प्रस्ताव की एक (01) प्रति)।

मवदीय
(डा० धीरज पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 392 / दिनांकित।

- प्रतिलिपि - 1. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून, को उक्त सन्दर्भित पत्र के कम में।
2. उप प्रभागीय वनाधिकारी(देहरादून), मसूरी वन प्रभाग को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि कृपया वर्णित स्थल पर बिना विधिवत् स्वीकृति के वन भूमि में किसी प्रकार का गैर वानिकी कार्य न होने दें।
3. वन क्षेत्राधिकारी, मसूरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विषयान्वित प्रकरण में बिना विधिवत् स्वीकृति के वन भूमि में किसी प्रकार का गैर वानिकी कार्य न होने दें।

(डा० धीरज पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Executive Engineer, ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून for "Construction of ग्रामीण सड़के एवं ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत नौ बीघा-रिखोली मुख्य मार्ग के किमी0 16 से नारायण सिंह के घर तक ग्रामीण सड़क के निर्माण हेतु (Proposed Length- 1.430 K.M)" under FCA-1980 of 0.889 ha. of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of, "Construction of ग्रामीण सड़के एवं ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत नौ बीघा-रिखोली मुख्य मार्ग के किमी0 16 से नारायण सिंह के घर तक ग्रामीण सड़क के निर्माण हेतु". The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated 22 - 07- 2016.

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a Reserve Forest + Prevate Forest + Civil Forest (RF 0.889 ha. + PF 0.00 ha.+CF 0.00 ha.) = 0.889 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

No rare/endangered/unique species of flora and fauna is found in the area.

No protected archeological/heritage site/defense establishment or any other important monument is located in the area.

- a) ✓ The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.
- b) AS such, recommendation is being provided.

Prposal is Recommended.

(Signature)

Name (Dr. Dheeraj Pandey)

Designation... प्रशासकीय वनाधिकारी

Office Seal

Place - Mussoorie

Date - 22 . 07 .2016

N.B x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less than 40 ha. of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 ha. of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

Filename: Letter.docx
Directory: C:\Users\divison\Desktop\Nou Biga-Rekholi MR
Template: C:\Users\divison\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.d
otm
Title:
Subject:
Author: admin
Keywords:
Comments:
Creation Date: 01-01-2001 04:56:00
Change Number: 3
Last Saved On: 01-01-2001 05:09:00
Last Saved By: admin
Total Editing Time: 3 Minutes
Last Printed On: 27-07-2016 03:50:00
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 3
Number of Words: 1 (approx.)
Number of Characters: 10 (approx.)